उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय स्वॉट/सर्विलेंस तथा थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने फायरिंग कर जानलेवा हमले के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूट की सम्पत्ति, अवैध तमंचा/कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद...।

दिनांक- 24.06.2025 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत अजयगढ, पन्ना म.प्र. निवासी व्यक्ति पिकअप वाहन से महोबा की ओर आ रहे थे कि बिच्छू पहाडिया के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात द्वारा इनके साथ गाली गलौच एवं फायरिंग करते हुए इन पर जानलेवा हमला किया गया प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 273/25 धारा 109(1)/126(2)/352/351(2) BNS का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा की स्वॉट/सर्विलेंस तथा थाना कोतवाली नगर महोबा के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम ने घटना से सम्बन्धित विभिन्न वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित की जिसके क्रम में आज दिनांक- 30.06.2025 को थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत पठो रोड के पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त रविकरन अहिरवार पुत्र मंगल अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी मुहल्ला रिप्टा चौराहा कस्बा व थाना लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से घटना से सम्बन्धित लूट का एक अदद पर्स व एक हजार एक सौ बीस रुपए व मजरूब का एक अदद आधार कार्ड, 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज मय घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल को बरामद किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(6),3(5) BNS व 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है, व बरामद मोटरसाइकिल को बिना प्रपत्रों के आधार पर एमवी एक्ट के तहत सीज किय गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रविकरन अहिरवार पुत्र मंगल अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी मुहल्ला रिप्टा चौराहा कस्बा व थाना लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0

बरामदगी... एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व लूट का एक अदद पर्स व एक हजार एक सौ बीस रुपए व मजरूब का एक अदद आधार कार्ड मय घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह, SHO थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह चौकी इन्चार्ज भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
3. हे0का0 अमित नागर 4. का0 नरेन्द्र 5. का0 रामचन्द्र

जनपदीय स्वॉट/सर्विलेंस टीम-

1. उ० नि० शिव प्रताप सिंह प्रभारी स्वॉट/सर्विलेंस टीम
2. उ०नि० विवेक यादव
3. का० रनजीत सिंह
4. का० निर्भय सिंह
5. का० आशीष बघेल
6. का० दीपक वर्मा
7. का० कुलदीप यादव

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.06.2025
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं मालिकों के विरुद्ध महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही...

05 या अधिक चालान वाले वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा निरस्त...!!

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को सुदृढ किये जाने के दृष्टिगत प्रचलित जागरुकता अभियानों एवं यातायात नियमो के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही के तहत जनपद महोबा की यातायात पुलिस टीम द्वारा प्रभारी यातायात श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी पहल करते हुए जनपद महोबा में ऐसे वाहनों की पहचान की गई है, जिनके विरुद्ध 05 या 05 से अधिक ई-चालान निर्गत किये जा चुके हैं।

इस क्रम में जनपद महोबा से कुल 3131 ऐसे वाहन चिन्हित किये गये हैं जिनके विरुद्ध लगातार नियमों का उल्लंघन किया गया है। इन सभी वाहनों की सूची संभागीय परिवहन अधिकारी को भेजी गई है, जिससे उनके ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के निरस्तीकरण की विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

जनपद पुलिस आम जनमानस से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें एवं सड़क सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उल्लंघन की स्थिति में अब केवल जुर्माना नहीं बल्कि लाइसेंस और पंजीयन भी रद्द किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को पुष्पगुच्छ/मोमेन्टों प्रदान कर दी गई भावुक विदाई।

उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों की यादगार विदाई हेतु आज दिनांकः- 30.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0प्र0 पुलिस सेवा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को उनके परिवारीजनों की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह, शॉल, उपहार व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया तथा पुलिस सेवा में रहते हुये उनके द्वारा की गयी विभिन्न सराहनीय सेवाओं को याद करते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य, सुखमय जीवन व उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ भावुक विदाई दी गयी।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी-

1. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह यादव

उक्त विदाई समारोह के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार तथा जनपदीय पुलिस के अधि./कर्म.गण एवं अन्य सम्बन्धित पुलिसकर्मियों सहित उनके परिवारीजन उपस्थित रहे और सभी के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को ससम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 30.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 30.06.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

घर में घुसकर चोरी करने एवं जानलेवा हमला करने वाले आरोपी 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रु. जुर्माने की हुई सजा।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायाधीश ए.डी.जे./एफ.टी.सी. कोर्ट, महोबा द्वारा "घर में घुसकर चोरी एवं जानलेवा हमले की घटना" से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में 03 नफर अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास सहित प्रत्येक को 10-10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

- थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1263/12 धारा 459/411 भादवि से सम्बंधित 03 नफ़र अभियुक्तगण क्रमश: 1.वीरेन्द्र पुत्र सगुन राजपूत 2.चन्द्र उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र सुरेश राजपूत 3.बब्लू पुत्र सगुन राजपूत नि.गण पवा थाना श्रीनगर महोबा को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित प्रत्येक को 10-10 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सुरेन्द्र सिंह राजपूत
शासकीय अधिवक्ता

हे.कां. बलजीत सिंह
पैरोकार थाना श्रीनगर महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैधानिक व अनाधिकृत उपयोग करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित...

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप पोक्सो कोर्ट महोबा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैधानिक उपयोग करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 04 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2011 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र राजाराम निवासी हमीरपुर चुंगी थाना कोतवाली नगर महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 04 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शारदा प्रसाद
अभियोजन अधिकारी

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अभियुक्तगणो द्वारा सरकारी कर्मचारीगण को उनके अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हिंसा कारित करने वाले आरोपी 06 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 15-15 हजार रु. जुर्माने की हुई सजा।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायाधीश ए.डी.जे./एससी/एसटी कोर्ट, महोबा द्वारा "अभियुक्तगणो द्वारा सरकारी कर्मचारीगण को उनके अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हिंसा कारित करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में 06 नफर अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 15-15 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

- थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 3550/2014 धारा 147/149/307/34/152/332/353/336/323/427/504/506 भादवि व 3(1)10,3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.हरजीत उर्फ बबली सरदार पुत्र दिलीप सिंह 2.गुरूमीत उर्फ नीतू सरदार पुत्र दिलीप सिंह 3.राजू उर्फ जसपाल पुत्र दिलीप सिंह 4.श्रीमती हरमीत कौर पत्नी गुरूमीत सिंह 5.मनप्रीत सिंह पुत्र बलवीर 6.बलवीर सिंह उर्फ पप्पू पुत्र ज्ञान सिंह समस्त नि0गण मु0 गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास सहित प्रत्येक को 15-15 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रमोद कुमार पालीवाल
विशेष लोक अभियोजक (SC/STकोर्ट)

हे.का. प्रेमबाबू द्विवेदी
पैरोकार थाना कोत0 नगर महोबा